खारिज
9.11.20

फर्द अहकाम

2024/537

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

जसवीर बनाम किशोरसिंह आदि

प्रकरण संख्या 153 वर्ष 2024

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
22.08.2024	प्रार्थी जसवीर की तरफ से वकील श्री सन्तलाल बिजारणिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा पल्लू के ख.नं. 107, 20, 218, 38, 549, 555/20, 811/213, 815/296, 819/215, 821/299 की 31.8909 है. भूमि की अप्रार्थीगण बिना किस्म परिवर्तन करवाये निर्माण कार्य करने से तथा रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा अन्य किसी वाद यथा (खाता विभाजन), रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 23.09.2024 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
23.9.2024	वकील/पक्षकार उपस्थित/PU आज [illegible] हैं। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 26/10/2024 को पेश हो। [signature]	
9.11.2024	प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थी के स्वयं ने प्रार्थना-पत्र पेश कर लिखे इस किया कि वह प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना [illegible] से खारिज करवाना चाहता [illegible] खारिज किया जाता है। [illegible] बाद [illegible] तकमील जावे [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.11.16 17:19:42 IST
Reason: SelfAttested